

प्रेषक,

सुरेश कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

~~अपर सहाय सचिव/~~

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।

संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 19 सितम्बर, 2017

विषय:- संसद सदस्यों/राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन के संबंध में।


महोदय,

उपर्युक्त विषयक संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग के पत्र संख्या संख्या- 831/90-सं0शि0प0का0/2016-02सं0शि0/2015, दिनांक 28 अक्टूबर, 2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें संसदीय कार्य अनुभाग-1 के पत्र संख्या-1541/90-सं-1-2013-66सं/1988, दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने के साथ ही अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों तथा निगम/उपक्रमों आदि को तदनुसार कार्यवाही करने हेतु निदेशित करने का अनुरोध किया गया था। इसके बावजूद पुनः शासन के संज्ञान में आया है कि मा0 सदस्यों के प्रति सामान्य शिष्टाचार/प्रोटोकाल का पालन समुचित रूप से नहीं किया जा रहा है। अधिकारी गण प्रायः मा0 सांसदों/राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के फोन नहीं उठाते हैं और न ही कॉल बैक करते हैं। यह मा0 सदस्य एवं उनके पद के गरिमा के प्रतिकूल है।

2- मा0 सदस्यगण, विधान मण्डल द्वारा वर्ष 2017 के प्रथम सत्र में मा0 विधायकों के प्रति समुचित शिष्टाचार/प्रोटोकाल का पालन न किये जाने विषयक बिन्दु की ओर मा0 सदन का ध्यान आकृष्ट कराया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि शासन के उक्त शासनादेश दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने के साथ ही अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों तथा निगम/उपक्रमों आदि को तदनुसार कार्यवाही करने हेतु निदेशित करने का कष्ट करें। शासन के संज्ञान में यदि विशिष्ट रूप में कोई शिकायत प्राप्त होगी तो दोषी पाये जाने वाले संबन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायगी।

भवदीय


(सुरेश कुमार गुप्ता)
प्रमुख सचिव।

संख्या-478(1) /90-सं0शि0प0का0/2016-02सं0शि0/2015 तददिनांक

- 1- सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव।
- 3- प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 4- प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
- 5- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(कौशलेन्द्र यादव)
विशेष सचिव।

1